प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.06.2024

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो लूटेरे गिरफ्तार , कब्जे से लूट का एक मोबाइल फोन, लूट से सम्बन्धित 1250/– रू0, एक अवैध तमंचा , दो जिन्दा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद ।

आज दिनाँक 09.06.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि दो लूटेरे भोपुरा लोनी रोड़ पर भौपुरा की तरफ से आ रहे है। उनके पास अवैध असलाह भी है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा भौपुरा लोनी रोड़ पंचशील कट पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी कि तभी भौपुरा की और से एक काले रंग की मोटर साइकिल पर दो युवक आते दिखाये दिये जिन्हें देखते ही मुखबिर ने बताया कि यही वह दोनों लुटेरे है। जिन्होने कुछ दिन पूर्व एम0 के0 रेस्टोरेन्ट के पास से लूट की घटना कारित की थी। इतना बताकर मुखबिर मौके से चला गया। उसके पश्चात थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दोनों मोटर साइकिल सवार युवको को टार्च की रोशनी लगाकर रूकने का इशारा किया गया तो उन्होने पुलिस को देखकर मैन रोड़ से मोटर साइकिल बायी तरफ की सर्विस रोड़ पर भागने लगे तभी आगे सीवर के ढक्कन से बाइक के टकराकर गिर जाने से के कारण पकड़े जाने के भय से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त अनस के बाएं पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त अनस के कब्जे से से एक अवैध तंमचा, एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, लूट का एक मोबाइल फोन सैमसंग ए 13 व लूट से सम्बन्धित 650/–रू0 बरामद तथा दूसरे अभियुक्त आदिल के कब्जे से एक अवैध चाकू व लूट से सम्बन्धित 600/–रू0 व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद हुई। तथा घायल अभियुक्त अनस को उपचार हेतु सीएचसी लोनी भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. अनस पुत्र परवेज निवासी ई 4-/488 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी नोर्थ ईस्ट दिल्ली हाल पता सी ब्लाक डीएलएफ राजा मैन्यू अपार्टमेन्ट के पास फ्लैट थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।
2. आदिल पुत्र वाहिद निवासी ग्राम बसी थाना स्याना जिला बुलन्दशहर हाल पता किरायेदार सुरेश पुत्र अग्रेज गुर्जर निवासी सफेद गेट भौपुरा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अनस उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में लूट का 01, गाजियाबाद में लूट व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त आदिल उपरोक्त के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में लूट एंव आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

1. एक अवैध तंमचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर व दो जिंदा कारतूस 315 बोर।
2. घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल टीवीएस राइडर
3. लूट का एक मोबाइल फोन
4. लूट से सम्बन्धित 1250/– रू0।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 09.06.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी आमिर पुत्र शकील नि0 गली नं0 04 मून लाईट पब्लिक स्कूल के पास पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 14.02.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आमिर पुत्र शकील नि0 गली नं0 04 मून लाईट पब्लिक स्कूल के पास पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर लूट व अवैध असलहा के संबंध में 03 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा तमंचे के बल पर घर से लूट करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार व कब्जे से लूट की ज्वैलरी व एक अवैध तमंचा बरामद।

दिनांक 10.04.2024 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया के साथ तमंचे के बल पर लूट करने की सूचना पर थाना विजयनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण – अभियोग में तत्काल कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 09.06.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर एवं लोकल इन्पुट के आधार पर उक्त अभियोग के अभियुक्त आकिल को जाकिर नगर साउथ ईस्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. आकिल पुत्र फजलुर्हमान निवासी म0न0 989 कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 61 वर्ष।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया की चांद उर्फ चंदा जो किन्नरों का गुरू था वह किन्नरों के साथ जिसमें लल्ला व सोनू उर्फ मुकर्रम , अन्नू , जोया , स्नेहा , बिपाशा व अन्य किनरों के साथ मिलकर बधाई लेते थे जो बधाई के पैसे आते थे उनमें से सब को बट जाते थे तथा गुरू दोगुने पैसे रखता था चांद उर्फ चंदा की मृत्यु माह फरवरी में हो गयी थी। मृत्यु के बाद किन्नरों का गुरू लल्ला उर्फ इरशाद बन गया था लल्ला को पता था कि चंदा के पास बधाई का काफी पैसा एवं सोना है। इससे लल्ला की नियत में खोट आ गया तथा लल्ला ने यह सूचना मुझे दी तब मैने एक प्लान के तहत अपने साथी रिंकू उर्फ खुर्शीद तथा नवेद उर्फ हिलाल व इस्लाम के साथ मिलकर चंदा के घर पर लूटपाट की थी। तथा लूट का सामान हमने आपस में बांट लिया था। आज दिनांक को मैं भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया तथा जो मेरे हिस्सा सामान आया उसमें कुछ मैने चलते फिरते व्यक्तियों को बेच दिया तथा जो बचा था वह आपको बरामद करा दिया है।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त **आकिल** उपरोक्त पर – 01 अभियोग हत्या व लूट सिहानी गेट, 01 अभियोग लूट का थाना विजयनगर, 02 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है , कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 कंगन बडे पीली धातु ,
- 03 पायजेब सफेद धातु,
- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।
स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।